(15)

न्यायालय कलेक्टर, जिला ग्वालियर (म. प्र.)

प्रकरण कमांक 0002 / पुर्नविलोकन / 2017–18 / 2653 ग्वालियर, दिनांक 06 मार्च 2018
प्रति

माननीय अध्यक्ष महोदय PBR/विविध/ग्वालियर/भू.रा/2018/1632
मध्यप्रदेश राजस्व मण्डल
ग्वालियर

विषयः–प्रकरण कमांक 42 / 1987–88 / –अ–59 पारित आदेश दिनांक 25–3–1988 को पुर्नविलोकन की अनुमति बाबत।

विषयान्तर्गत अनुविभागीय अधिकारी डवरा की अनुशंसा सहित न्यायालय नायब तहसीलदार वृत बिलौआ तहसील डवरा का मूल प्रकरण कमांक 92 / 2016–17 / बी–121 मय प्रतिवेदन प्राप्त हुआ जिसमें नायव तहसीलदार वृत बिलौआ के द्वारा ग्राम बिलौआ की विवादित शासकीय भूमि सर्वे कमांक 3293 रकवा 4.807 हेक्टेयर नोइयत पहाड जंगलात का विनियम ग्राम बिलौआ की शासकीय भूमि सर्वे कमांक 3717 मिन रकवा 4.807 हेक्टेयर नोइयत पहाड का विनिमय न्यायालय कलेक्टर ग्वालियर के प्रकरण कमांक 42 / 87–88 / अ–59 में पारित आदेश दिनांक 25–3'–1988 द्वारा आवेदिका राधारानी पत्नी मोतीलाल चौरसिया निवासी ग्राम बिलौआ तहसील डवरा को किया गया नायव तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी डवरा द्वारा उक्त आदेश का पुर्नविलोकन किये जाने हेतु प्रतिवेदित किया गया है।(जांचप्रतिवेदन की प्रति संलग्न)

2/ नायव तहसीलदार बिलौआ के जाचं प्रतिवेदन में यह तथ्य स्पष्ट है कि ग्राम बिलौआ की शासकीय भूमि सर्वे कमांक 3293 मिन रकवा 4.807 हेक्टेयर पर वर्ष 1974–75 में अवैध रूप से बिना किसी न्यायालयीन प्रकरण व सक्षम अधिकारी के आदेश के होतमसिंह पुत्र रद्युवर जाति मिर्द्या निवासी लधेरा की प्रविष्टि शासकीय पट्टेदार के रूप में राजस्व अभिलेख में की गयी है जिसे वर्ष 1984 में पंजी पर ही भूमि स्वामी स्वत्व भी अवैध रूप से प्रदान किया गया है, उक्त भूमि को वर्ष 1985–86 में राधारानी पत्नी मोतीलाल चौरसिया निवासी ग्राम बिलौआ को विकय कर उसका अवैध रूप से नामान्तरण भी केता के पक्ष में कराया गया है। वर्ष 1984 –85 लगायत 1988–89 पंचशाला खसरा के रोस्टर वर्ष 1988 में तथ्यों को छिपाकर ग्राम बिलौआ की शासकीय भूमि सर्वे कमांक 3293 रकवा 4.807 नोईयत पहाड जंगलात का अंतरण ग्राम बिलौआ की शासकीय भूमि सर्वे कमांक 3717 नोइयत पहाड के समान रकवा 4.807 हेक्टेयर से कराया गया।

3/ नायव तहसीलदार वृत बिलौआ से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के आधार पर इस न्यायालय का प्रकरण कमांक 0001 / 2017–18 / स्वमेव निगरानी में पारित आदेश दिनांक 22–2–2018 द्वारा विवादित भूमि को राजस्व अभिलेख में शासकीय किये जाने के आदेशित किया गया है (आदेश की छाया प्रति संलग्न है)

4/ इस न्यायालय का प्रकरण कमांक 42/1987–88/अ–59 पारित आदेश दिनांक 25–3–1988 मूल प्रकरण न्यायालय में सुरक्षित रखा जाकर छाया प्रति सत्यापित करायी जाकर पुर्नविलोकन की अनुमति मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 51(1) के प्रावधानों के अंतर्गत दिये जाने हेतु प्रेषित है। माननीय न्यायालय द्वारा मूल प्रकरण की आवश्यकता होने पर मूल प्रकरण उपलब्ध कराया जावेगा ।

संलग्नः–प्रकरण कमाक 01/17–18/पुर्नविलोकन

कलेक्टर 6/3/18

जिला ग्वालियर (म0प्र0)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक PBR/विविध/ग्वालियर/भू.रा./2018/1632

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
3-4-2018	शासन के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । प्रकरण का अवलोकन किया गया । प्रकरण के तथ्यों से प्रथम दृष्टया स्पष्ट है कि कूटरचित दस्तावेजों/फर्जी तरीके से प्राप्त पट्टे की भूमि का तथ्यों को छिपाकर विनिमय कराया गया है । आवेदिका राधारानी सूचना उपरान्त भी कलेक्टर के समक्ष जांच के दौरान अनुपस्थित रही है । अतः कलेक्टर के प्रस्ताव अनुसार कलेक्टर के प्रकरण क्रमांक 42/1987-88/अ-59 में पारित आदेश दिनांक 25-3-88 को पुनर्विलोकन में लेने की अनुमति दी जाती है । कलेक्टर सम्बन्धि पक्ष को सुनने के उपरांत ही अग्रिम कार्यवाही की जाये । अध्यक्ष	